Restriction for Industries in Dahanu Taluka in Maharashtra

2936. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had declared Dahnau Taluka, District Thane (Maharashtra) as an ecological fragile area and imposed restrictions on the setting up of industries;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether this is an adivasi area; and

(d) whether it is also a fact that because of the said decision adivasis will not get job opportunities?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. A Notification has been issued in June, 1991 under the Environment (Protection) Act, 1986 for protecting ecologically sensitive Dahanu Taluka and to ensure that developmental activitites are consistent with the principles of environmental protection and conservation.

(c) Membes belonging to Scheduled Tribe Communities also reside in the area.

(d) No, Sir.

Inspection of Polluting Factories by CPCB in Bihar

2937. SHRI GYAN RANJAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether inspection has been conducted by the Central Pollution Control Board (CPCB) in regard to some factories/mills polluting the environment in the State of Bihar, during the last two years; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. Central Pollution Control Board in collaboration with Bihar Pollution Control Board has inspected some of the major industries in the State of Bihar during last two years (1996-97). These include Bata India Ltd. (Mokaamma), Mc Dowell & Co. Ltd. (Hatidah), Muzzaffarpur Thermal Power Station (Kanti), Bihar Caustic and Chemicals Ltd. (Rehala), Bokaro Thermal Power Plant (Bokaro). According to the inspection report, all the aforesaid units have adopted pollution control measures. Some units have adequate facilities to comply with the prescribed standards whereas other units do not have adequate pollution control measures.

Protection of the Keibul Lambjao National Park

2938. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the measures taken-up for protection of Keibul Lamjao National Park in Manipur, in connection with protection of the rare Sangai deer; and

(b) whether Government are aware of the demand of the local people surrounding the Park, to close the National Park because of the present treatment in respect of protection of the deer, which faces imminent extinction?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Protection measures are being enforced in the Keibul Lamjao National Park in Manipur against hunting and habitat destruction, under the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972. Staff has been posted for protection of the national park and activities such as improvement of habitat through plantation of fruit species and eradication of weeds, controlled burning and creation of firelines are under taken for habitat management. Financial assistance is also being provided by this Ministry to support the efforts of the State Govt.

(b) Yes, Sir. According to the State Govt. of Manipur, they propose to strengthen the staff in the National Park for better protection and management.

रिहन्द जलाशय का प्रदूषण

2939. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एन०सी०एल०) सिंगरौली, मध्य प्रदेश में कार्यरत दस परियोजनाओं का निकास (स्यूरेज), खदानों का विषाक्त पानी, मल-मूत्र और अपशिष्ट पदार्थ रिहन्द जलाशय में बहाकर जलाशय के पानी को प्रदूषित कर रहा है जिसके कारण जलाशय के जल-जन्तु मछली आदि एवं जलाशय से पेय जल उपयोग में लाने वाले निवासियों को खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एन०सी०एल०) और विश्व बैंक को स्थानीय एन०जी०ओ० द्वारा निवेदन एवं अभ्यावेदन करने पर भी प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) मध्य-प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार रिहन्द जलाशय का पानी राष्ट्रीय कोलफील्डस, सिंगरौली द्वारा चलाई जा रही 10 परियोजनाओं के सीवेज एवं औद्योगिक बहि:स्राव के अन्तर्वाह के कारण संदूषित नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) उद्योगों को बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्देश देते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपाय किए गए हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में दावानल के कारण वनों की हानि

2940. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में दावानल व जंगलों में अन्य कारणों से आग लगने से करोड़ों रुपए के जंगल जलकर राख हो गए जिससे वन्यप्राणियों की भी भारी संख्या में जानें गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 में वन संपदा के जलने से कुल कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिमालय क्षेत्र में दावानल से निपटने के लिए हैलीकाप्टरों/वायुयानों का प्रावधान किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कब और कितने हैलीकाप्टरों/वायुयानों का प्रावधान किया गया था और वर्तमान में इनका उपयोग कहां-कहां किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जैसाकि परियोजना में बल दिया गया है, प्रदर्शन, प्रशिक्षण और पायलट आपरेशन गतिविधियों के उद्देश्य से क्रमशः अक्तूबर 1986 और जुलाई, 1987 में यू०एन०डी०पी० से सहायता प्राप्त "आधुनिक दावानल नियंत्रण परियोजना" के तहत एक लामा हैलीकाप्टर और एक पाइपर सेनेका एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराए गए।

पाइपर सेनेका-III फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट 25.8.94 को सवाई माधोपुर (राजस्थान) के निकट हुई दुर्घटना में नष्ट हो गया और लामा हैलीकाप्टर तकनीकी कारणों से खड़ा है।

कुल्लू में गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालयन डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट के अंतर्गत एक केन्द्र की स्थापना

2941. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गोविन्द बल्लभ पंत हिमालयन डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट (जी०बी०पी०एच०डी०आई०) के अंतर्गत एक केन्द्र की स्थापना की गई है।

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त केन्द्र के कार्यालय एवं आवास के भवन अभी निर्माणाधीन हैं, यदि हां, तो कितना निर्माण कार्य हो चुका है और कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा;

(ग) उक्त केन्द्र में किस-किस श्रेणी के कितने कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उनमें कितने स्थानीय (हिमाचली) हैं और किस-किस पद पर कार्यरत हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।